भारत सरकार
मानव संसाधन विकास मंत्रालय
उच्चतर शिक्षा विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1225
उत्तर देने की तारीख: 25.11.2019

महाविघालयों को स्वायत्तता

1225. श्रीमती शारदा अनिल पटेलः

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने देश के कतिपय महाविघालयों को स्वायत्तता प्रदान की है/प्रदान करने का विचार है;
(ख) यदि हां, तो अब तक कितने महाविघालयों को स्वायत्तता प्रदान की गई है;
(ग) क्या सरकार ने विश्वविघालय शिक्षक संघ से परामर्श किया है और इस संबंध में विशेषज्ञों से सुझाव मांगे हैं;
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ङ) क्या सरकार ने देश में महाविघालयों को स्वायत्तता प्रदान करने से होने वाले लाभों और हानियों के संबंध में कोई अध्ययन किया है; और
(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या परिणाम प्राप्त हुए हैं?

उत्तर

मानव संसाधन विकास मंत्री
(श्री रमेश पोखरियाल 'निशंक')

(क) और (ख): जी, हां। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (महाविद्यालयों को स्वायत्तता का दर्जा प्रदान करने तथा स्वायत्त महाविद्यालयों में मानकों के रख-रखाव संबंधी उपाय) विनियम, 2018 को हमारे देश में अच्छा प्रदर्शन करने वाले उच्चतर शैक्षणिक संस्थानों को स्वायत्तता प्रदान करने के लिए 12 फरवरी, 2018 को अधिसूचित किया गया है। वर्तमान में देश में 736 स्वायत्त महाविद्यालय हैं।

(ग) और (घ): महाविद्यालयों को स्वायत्तता प्रदान करने से संबंधित मामलों पर चर्चा करने हेतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) द्वारा दिल्ली विश्वविद्यालय के संघटक महाविद्यालयों के लिए एक कार्यशाला आयोजित की गई है। इसके अतिरिक्त, मानव

संसाधन विकास मंत्रालय ने भी स्वायत्तता संबंधी विभिन्न मामलों पर चर्चा करने के लिए महाविद्यालयों के अध्यापकों के साथ बातचीत की।

(ङ) और (च): विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (महाविद्यालयों को स्वायत्तता का दर्जा प्रदान करने तथा स्वायत्त महाविद्यालयों में मानकों के रख-रखाव संबंधी उपाय) विनियम, 2018 अकादमिक, प्रशासनिक और वित्तीय स्वायत्तता पर ध्यान केंद्रित करता है। स्वायत्तता प्रदत्त महाविद्यालयों को निम्नलिखित लाभ मिलते हैं:

(i) वे मौजूदा पाठ्यक्रमों/कार्यक्रमों की समीक्षा कर सकते हैं तथा वे अध्ययन और पाठ्यक्रम के अपने स्वयं के कोर्स/कार्यक्रम को पुनर्गठित, पुनः तैयार तथा निर्धारित कर सकते हैं और यूजीसी द्वारा विनिर्दिष्ट नामावली के भीतर नए पाठ्यक्रम/कार्यक्रम तैयार कर सकते हैं।

(ii) वे छात्रों के कार्य-निष्पादन के आंकलन, परीक्षाएं आयोजित करने तथा परिणामों की अधिसूचना की पद्धतियां विकसित कर सकते हैं और साथ ही, परिणाम घोषित कर सकते हैं, मार्कशीट, माईग्रेशन तथा अन्य प्रमाणपत्र जारी कर सकते हैं।

(iii) उनके पास प्राचार्य सहित उनका स्वयं का प्रशासनिक स्टाफ तथा शिक्षण संकाय नियुक्त करने की पूर्ण प्रशासनिक स्वायत्तता और विशेषाधिकार है।

(iv) स्वायत्तता शिक्षाविदों को सृजनात्मक योगदान हेतु पर्याप्त अवसर प्रदान करती है।

*****